

## भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की ऑनलाइन क्रम संख्या— FP/UK/ROAD/156915/2022

7-	परियोजना / स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग का नव निर्माण
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	4.22 हेक्टेअर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	4.22 हेक्टेअर वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5 (Eco class-V)
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्ताव में संलग्न है।
(viii)	भूकरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सक्षिप्त टिप्पणी	प्रस्ताव में संलग्न है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	परियोजना हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल आरक्षित वन के अन्तर्गत है।
(x)	वया फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, वाष्ठी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वाड़न की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	—नहीं—
(xi)	वया क्षेत्र में वनस्पति और प्राणियांत की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। (यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	—नहीं—
(xii)	वया कोई सुरक्षित उत्तरात्मीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	—नहीं—
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिवर्त्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरा के साथ मद-यार संरक्षित क्षेत्र वया है।	इस वायत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में चर्पा किया गया है।
9.	वया अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोपी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई राहित कार्य का व्यौरा वैं वया उल्लंघन रावणी कार्य अपी भी चल रहे हैं।	— नहीं—
10.	प्रतिपुरक वर्नीकरण रकीम का व्यौरा	प्ररोक्ष में संलग्न है।

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्ताव में संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रावक्तव्य प्रमाणित कर प्रस्ताव में चर्चा किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण रथल उपयुक्ता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें )	संलग्न है।
12.	जिला प्रोफाइल	जिला— देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	308800 है।
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	211691 है।
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 517 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 21492.77 है। है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :— (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 6223.66 है। (ख) 1724.75 है।
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 5088.38 है। (ख) 1724.75 है।
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 08/09/ 2022

स्थान:— मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:— (आशुतोष सिंह)  
प्रागीय संस्करण उच्चतर स्तर का  
मसूरी वन प्रभाग  
मसूरी